फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

भीयाराम बनाम पेमाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० काश्त० 111, 128 RCRAct नं. 227/18 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/09/18	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री जगदीश गोदारा ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RCRAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29/10/18 को पेश हो।	
29/10/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से मिशल इत्तला होकर आगामी दिनांक 19/12/18 को पेश हो।	
19/12/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों की एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश में पधारे हुए है अतः मिशल इत्तला होकर आगामी दिनांक 26/02/2019 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

26/02/19 प्रार्थी वकील उपस्थित / अप्रार्थीगण अनु.
श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त
होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक
09/05/19 को पेश हो।

09/05/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगणों के
नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये
गये जिनको करीब 2 माह से अधिक का समय
व्यतीत हो चुका है जिनकी ओर से कोई
उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय समय तीन
बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 5.45
pm पर लगाई गई अप्रार्थीगण स्वयं या उनकी
ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ
लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल
में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एक-
पक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता ने
बताया की प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों
के चारों ओर पक्के नेवम स्थापित करवाना
आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेवमबन्दी आवेदन
स्वीकार किया जाकर नेवमबन्दी आदेश किया जावे।
अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन
पर प्रार्थी का नेवमबन्दी आवेदन स्वीकार किया
जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया
जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं
या अपने अधीनस्थ कोई भी भू० अभिलेख
निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की
नेवमबन्दी मौके पर सुलह जमाकराकर करें, पालना
रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली
फैसल शुमार हो दर्ज नक्शा से कम हो दाखिल
दफ्तर हो।

09.5.2019
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला - बाड़मेर

Scanned by CamScanner

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक / रा.आवे. / 2019 / 217 दिनांकः– 09/05/19

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. भीयाराम पुत्र दमाराम जाति सुथार वगैरा 2 निवासी गोदारों की ढाणी कुम्पलिया तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		1. पेमाराम पुत्र जुगताराम वगैरा 31 निवासी गोदारों की ढाणी कुम्पलिया तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या /19

आदेश

मौजा कुम्पलिया पटवार हल्का कुम्पलिया तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 435, 436, 437 रकबा क्रं. 0.04, 0.08, 64.14 बीघा व मौजा गोदारों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 151 रकबा 7.02 की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतू तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि वे स्वंय या अपने अधिनस्थ किसी भी भू अ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा करा कर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा /बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

09.5.2019
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला - बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

क्रमांक / रा.आवे. / 2019 / 218 – 222 दिनांकः 09/05/19

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी कुम्पलिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री भींयाराम वगैरा
4. विप्रार्थी श्री पेमाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा /बायतु।

09.5.2019
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला - बाड़मेर

Scanned by CamScanner